



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-09

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 2020

(फाल्गुन 15, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले के स्थान पर श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य अधिकृत रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान प्रश्न व्यापक होने पर माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से निवेदन किया कि एक प्रश्न में सरकार के कम से कम 10 लाख रुपये व्यय होते हैं, इस तरह राशि को जाया करना, मैं उचित नहीं समझता।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर विचार व्यक्त किये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित एवं 65 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से धान खरीदी केन्द्रों में रखे धान के सड़ने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना को मैंने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

- (1) श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर-रायपुर मार्ग अपूर्ण होने से दुर्घटना होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

- (2) सर्वश्री नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, सदस्य ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा ग्राम पुरैना में जनप्रतिनिधियों की आवासीय कॉलोनी के आवागमन रास्ते की जमीन को अवैधानिक तरीके से अदला-बदली किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

- (1) श्री शिशुपाल सोरी
- (2) श्री इन्द्रशाह मण्डावी
- (3) श्री पारसनाथ राजवाड़े
- (4) श्री द्वारिकाधीश यादव
- (5) श्री धरमलाल कौशिक

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक- 03)	श्री अजय चन्द्राकर	45 मिनट
(क्रमांक- 11)	श्री सौरभ सिंह	30 मिनट
(क्रमांक- 14)	श्री मोहन मरकाम	01 घंटा 15 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, इन्दर शाह मण्डावी, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती छन्नी चन्द्र साहू, सर्वश्री रामकुमार यादव, चन्द्रदेव प्रसाद राय, भुनेश्वर शोभाराम बघेल, राजमन बेंजाम, अनूप नाग,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवेन्द्र यादव, विकास उपाध्याय, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से मुख्यमंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की)

सायं 05.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020 (फाल्गुन 16, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा